

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को नए आयाम देती सांसद आदर्श ग्राम योजना

कुलदीप चतुर्वेदी¹, अखिलेश कुमार शर्मा², सोना शुक्ला³

¹ शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

² प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ओएसडी रूसा भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

³ प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

हजारों वर्षों से अनवरत प्रवाहमान सभ्यता अपने कुछ विशिष्ट लक्षणों व विशेषताओं के कारण ही अपना अस्तित्व बना पाती है, इन्हीं विशिष्ट लक्षणों को सांस्कृतिक घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। सांस्कृतिक घटकों में मुख्यतः धर्म, आध्यात्म, खान-पान, वस्त्रविन्यास, वैचारिक अधिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही सांस्कृतिक घटक राष्ट्र के समस्त आयामों यथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक अधिष्ठान को निर्धारित व परिभाषित करते हैं। भारतीय संस्कृति में सर्वधर्म समभाव, विविधता में एकता, प्रकृति संरक्षण, स्वराज व स्वशासन, वसुधैव कुटुम्बकम् सहअस्तित्व आदि प्रमुख घटक हैं जो भारतीयता को वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करते हैं, राष्ट्र की प्रगति सिर्फ अवसंरचनात्मक विकास पर निर्भर नहीं करती अपितु सांस्कृतिक घटकों के सापेक्ष विकास पर निर्भर करती है, जिससे अनवरत प्रवाहमान सभ्यता सतत बनी रहे, जिसके लिए संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसी विचार को आत्मसात करते हुए ग्रामीण जनों में अपनी संस्कृति की जानकारी के साथ गौरव का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, साथ ही संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का प्रयास किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में इस विन्दु को रेखांकित करने का प्रयास किया गया।

मूल शब्द: संस्कृति, सभ्यता, सहअस्तित्व, समरसता, आध्यात्म

भारतीय सभ्यता मानव जाति की किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता के समान महान संस्कृति का रूप और अभिव्यक्ति रही है, भारतीय संस्कृति धर्म, दर्शन, में विज्ञान, साहित्य कला और कविता, समाज और राजनीतिक के संगठन, शिल्प और व्यापार व वाणिज्य में महानता को प्राप्त है।¹

इसी महान सभ्यता व संस्कृति के हिस्सा होने के कारण हम गौरवावित महसूस करते हैं, साथ ही इस सभ्यता व संस्कृति को अक्षुण्य रखते हुए इसके पल्लवन में अपना यथेष्ट योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास करना हमारा भारतीय नागरिक के रूप में पुनीत कर्तव्य है, राष्ट्र व समाज का यह प्रयास है कि हम अपने नागरिकों विशेषता युवाओं में भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम विकसित करने के साथ उच्च नैतिक मूल्यों, आदर्शों, आकांक्षाओं के आधार पर धर्म दर्शन साहित्य कला नैतिकता विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक लोकाचार सहित संस्कृति की गहरी समझ विकसित करें ताकि नागरिक राष्ट्रीय भावना से साम्यता रखते हुए संस्कृति को विकसित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें।²


गांधी जी का मानना था कि जो भी संस्कृति विशिष्ट बने रहने की कोशिश करती है वह जीवित नहीं रह सकती किसी संस्कृति के लंबे जीवन के लिए उसे कठोरता से दूर रहना होगा और संकीर्णता से बचना होगा, इसके विपरीत लचीलापन और उदारता दो ऐसे गुण हैं जो जीवन में संश्लेषण और निरंतर लाते हैं।³ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें साथ ही भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।⁴

उपर्युक्त भावना को दृष्टिगत रखते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना के मूल्य में स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और इसे पोषण प्रदान करना आदर्श ग्राम में ऐसी पहलियाँ

को संचालित करना जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत का सुदृढ़ीकरण किया जा सके।⁵

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	472	78.66
नहीं	128	21.33
योग	600	100

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 78.66: लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे गांव में ग्राम दिवस मनाया जाता है जिसमें स्थानीय लोकगीत लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, सांस्कृतिक तत्वों के उन्नयन में जिन्होंने सराहनीय प्रयास किया उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक तत्वों में सकारात्मक वृद्धि उन्नयन के साथ-साथ अन्य लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है।



➤ सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन रामलीला, दशहरा, मिलन, होली मिलन ईद, प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर होता है।

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	579	96.5
नहीं	21	3.5
योग	600	100